डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय–आदेश

राष्ट्रीय स्तर पर कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम और उससे उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार एवं रविवार को सम्पूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिसके अनुक्रम में विश्वविद्यालय भी शनिवार एवं रविवार को पूर्णतया बन्द रहता है।

विश्वविद्यालय में छः दिवसीय कार्यालय अवधि का संचालन होने की व्यवस्था है, परन्तु शनिवार को लाकडाउन होने के कारण अवकाश रहता है, ऐसी स्थिति में कार्यालय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासनिक कार्यालय के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में कोविड–19 के दृष्टिगत कार्यालय अवधि में संशोधन करते हुए प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्यालयी कार्य विधिवत् सम्पादित किया जायेगा, तद्नुसार समस्त कार्मिक समयानुसार उपस्थित होकर कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक : 647/पत्रा0सं0–240(तृतीय)/DSMNRU/का0ज्ञा0/2020–21 दिनांक 17 अगस्त, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
5. समस्त कार्मिकगण, विश्वविद्यालय।
6. विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी, विश्वविद्यालय।
8. गार्ड फाइल।

17.8.2020
(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव